6

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

महत्वपूर्ण / ग्राम पंचायत पुनर्गठन
द्वितीय परिपत्र

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः– 4 / 491(1) / 2014–4 / 70 / 2014 लखनऊः दिनांकः 16 सितम्बर, 2014

विषयः– ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन / परिसीमन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के समविषयक पत्र संख्या–4 / 491 / 2014–4 / 70 / 2014, दिनांक 22 अगस्त, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत शासनादेश संख्या–1992 / 33–3–2014–03रा0नि0आ0 / 14, दिनांक 16 अगस्त, 2014 में दी गई व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन / परिसीमन किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त परिपत्र दिनांक 22 अगस्त, 2014 के बिन्दु संख्या–8 में यह निर्देश दिये गये थे कि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में वर्ष 1995 से वर्तमान समय तक समय–समय पर प्रकाशित अधिसूचनाओं को संज्ञान में लेते हुए उनकी छायाप्रतियां भी निदेशालय को उपलब्ध करायी जाए।

इस सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट करना है कि ग्राम पंचायतों की पूर्व स्थिति एवं संशोधित स्थिति का प्रस्ताव विकास खण्ड में ग्राम पंचायतों की स्थिति प्रभावित न होने की दशा में भी सम्पूर्ण जनपद का प्रस्ताव निदेशालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत की ग्राम पंचायत के पुनर्गठन / संशोधन के प्रस्ताव की स्थिति में प्रारूप संख्या–1 पर पूर्व स्थिति व संशोधित का सम्पूर्ण जनपद का प्रस्ताव निदेशालय को गजट में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

16.9.14

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्या–4 / 491(1) / 2 / 2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन को शासनादेश संख्या–1992 / 33–3 –2014–03रा0नि0आ0 / 14, दिनांक 16 अगस्त, 2014 के क्रम में।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।